क़ीमत 5 रूपया

http://www.cgpi.org

आने वाले इंक़लाबी तूफ़ानों के लिये तैयारी करें!

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

ग्रंथ-37, अंक - 22 | नवंबर 16-30, 2023 | पाक्षिक अख़बार | कुल पृष्ठ-8

मज़दूरों और किसानों के लिए आगे का रास्ता

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय समिति का आह्वान, 12 नवंबर, 2023

हम मज़दूर और किसान देश की दौलत को पैदा करते हैं। हम आबादी के 90 प्रतिशत से अधिक हैं। लेकिन एक के बाद एक, सभी सरकारें उदारीकरण और निजीकरण के बैनर तले, पूंजीवादी अरबपतियों की तिजौरियां भरने के लिए क़ानून बनाती रही हैं और नीतियां लागू करती रही हैं।

हिन्दोस्तानी समाज को विनाशकारी रास्ते पर घसीट कर ले जाया जा रहा है। अमीरों और ग़रीबों के बीच की खाई साल दर साल और चौड़ी होती जा रही है। पूंजीवादी लालच को पूरा करने के लिए मज़दूरों और किसानों का शोषण और लूट तेज़ की जा रही है। केंद्र और राज्य सरकारें पूंजीपतियों को अपनी इच्छानुसार मज़दूरों को काम पर रखने व निकालने तथा उनसे प्रतिदिन 12 घंटे काम कराने के लिए क़ानून बना रही हैं। पूंजीवादी घरानों के प्रधानों का दावा है कि मज़दूरों को हर हफ्ते 70 घंटे मेहनत करने के लिए तैयार रहना चाहिए, ताकि हिन्दोस्तान का तथाकथित विकास हो सके। वे श्रम शक्ति के एक हिस्से का अत्यधिक शोषण करना चाहते हैं, जबकि दूसरे हिस्से को बेरोज़गार बनाये रखा जा रहा है।

हिन्दोस्तानी और विदेशी पूंजीवादी कंपनियां कृषि उत्पादों के व्यापार सहित अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों पर अपना वर्चस्व बढ़ा रही हैं। करोड़ों किसान क़र्ज़े में डूबते जा रहे हैं क्योंकि उनकी उपज के लिए उन्हें मिलने वाली क़ीमतें कृषि की ज़रूरी सामग्रियों की बढ़ती लागत की तुलना में बहुत कम हैं।

बढ़ती बेरोज़गारी, रोज़गार की बढ़ती असुरक्षा, कम वेतन, जीवन जीने के बढ़ते ख़र्चे, गिरती कृषि आय और बढ़ती क़र्ज़दारी – ये सब मज़दूरों और किसानों की स्थिति को असहनीय बना रही हैं।

जो लोग मज़दूरों, किसानों और अन्य उत्पीड़ित लोगों के अधिकारों के लिए लड़ते हैं, उन्हें राष्ट्र–विरोधी करार दिया जा रहा है और जेल में डाल दिया जा रहा है। यू.ए.पी.ए. जैसे कठोर क़ानूनों का उपयोग करके, उन्हें बिना मुक़दमा चलाए और दोषी साबित किये अनिश्चित काल तक जेल में रखा जाता है। धार्मिक अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ लगातार हो रही लिंचिंग और अन्य प्रकार की हिंसा का इस्तेमाल आतंक फ़ैलाने और सांप्रदायिक विवाद भड़काने के लिए किया जा रहा है।

मज़दूरों और किसानों की यूनियनें एक सांझे मांगपत्र के इर्द–गिर्द एकजुट हो गई हैं। मज़दूर–किसान मोर्चे की मांगों में काम के अधिकार की क़ानूनी गारंटी, राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन रुपये 26,000 प्रति माह, चार श्रम संहिताओं का वापस लिया जाना, ठेकेदारी मज़दूरी पर रोक, सर्वव्यापक सामाजिक सुरक्षा और पेंशन के साथ सभी वेतनभोगी मज़दूरों का सार्वभौमिक पंजीकरण, निजीकरण पर तत्काल रोक, 2022 के बिजली (संशोधन) विधेयक का वापस लिया जाना, किसानों के लिए क़र्ज़माफ़ी और उत्पादन की कुल लागत से 50 प्रतिशत अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य (सी–2) पर किसानों की उपज की ख़रीद की गारंटी – ये सारी मांगें शामिल हैं।

इन मांगों पर दबाव बनाने के लिए मज़दूर–किसान मोर्चा बार–बार संयुक्त जन आंदोलन आयोजित करता रहा है। नवंबर 26–28, 2023 को सभी राज्यों की राजधानियों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन का एक और दौर आयोजित किया जाएगा।

हालांकि मज़दूर और किसान हिन्दोस्तान की जनसंख्या का 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सा हैं, फिर भी सरकार हमारी मांगों को नज़र–अंदाज़ करती रहती है। देश का एजेंडा तय करने में हमारी कोई भूमिका नहीं है।

हिन्दोस्तान को दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला लोकतंत्र कहा जाता है लेकिन राजनीतिक व्यवस्था मेहनतकश बहुसंख्या को फ़ैसले लेने की शक्ति से वंचित करती है। राजनीतिक प्रक्रिया लगभग 150 इजारेदार पूंजीवादी घरानों की अगुवाई में शोषक अल्पसंख्यक वर्ग की हुकूमत को बरकरार रखने के लिए बनाई गई है।

हिन्दोस्तानी और विदेशी इजारेदार पूंजीपति चुनावी नतीजों को निर्धारित करने के लिए अपने धनबल और समाचार व सोशल मीडिया पर अपने नियंत्रण का उपयोग करते हैं। इजारेदार पूंजीपति उस पार्टी की जीत को आयोजित करते हैं जो पूंजीपति वर्ग की अमीरी को बढ़ाने के कार्यक्रम को लागू करेगी और साथ ही साथ, लोगों को सबसे बेहतर तरीक़े से बुद्धू बनायेगी। 2004 में कांग्रेस पार्टी ने भाजपा की जगह ले ली थी और 2014 में भाजपा ने कांग्रेस पार्टी की जगह ले ली थी, लेकिन उदारीकरण और निजीकरण के ज़रिये वैश्वीकरण का कार्यक्रम अनवरत चलता रहा है।

शेष पृष्ठ 3 पर

महान अक्तूबर समाजवादी क्रांति की 106वीं वर्षगांठ पर :

वर्तमान हालतें श्रमजीवी क्रांतियों के नए दौर का आह्वान कर रही हैं

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केंद्रीय समिति का बयान, 5 नवंबर, 2023

7 नवंबर, 1917 को (जो उस समय के रूसी कैलेंडर के अनुसार 25 अक्तूबर का दिन था) रूस में, लेनिन की अगुवाई वाली बोल्शेविक पार्टी के नेतृत्व में मज़दूरों, किसानों और सैनिकों ने पूंजीपति वर्ग की हुकूमत को उखाड़ फेंका था। उस क्रांति के ज़रिये, सभी मेहनतकश लोगों के साथ गठबंधन में, मज़दूर वर्ग का राज स्थापित किया गया था।

महान अक्तूबर क्रांति ऐसे समय पर हुई थी, जब साम्राज्यवादी शक्तियों ने मानव समाज को प्रथम विश्व युद्ध में धकेल दिया था। अक्तूबर क्रांति ने उस विश्व युद्ध को ख़त्म करने में एक निर्णायक भूमिका निभाई थी।

प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली और जापान का गठबंधन जर्मनी, ऑस्ट्रिया–हंगरी और तुर्की के ख़िलाफ़ लड़ रहा था। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली और जापान के गठबंधन में संयुक्त राज्य अमरीका शामिल हो गया था। ये प्रतिद्वंद्वी साम्राज्यवादी शक्तियां, दुनिया को फिर से आपस में बांटने के इरादे से, एक–दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ रही थीं। सरमायदारों के साम्राज्यवादी मंसूबों को पूरा करने के लिए, लाखों मज़दूर और किसान एक–दूसरे का क़त्ल रहे थे, जिनमें हिन्दोस्तान जैसे उपनिवेश भी शामिल थे।

प्रत्येक साम्राज्यवादी राज्य में सत्तारूढ़ सरमायदारों ने अपनी पितृभूमि की रक्षा के नाम पर अपने–अपने देशों के मेहनतकश लोगों को युद्ध के लिए लामबंध किया था। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक पार्टी ने युद्ध शुरू होने से पहले ही, साम्राज्यवादियों के असली इरादों का पर्दाफ़ाश कर दिया था। बोल्शेविक पार्टी ने प्रत्येक पूंजीवादी देश के मज़दूरों, किसानों और सैनिकों से अपने–अपने सरमायदार उत्पीड़कों के ख़िलाफ़ अपनी बंदूकें तान लेने का आह्वान किया था।

क्रांति की जीत के बाद, सोवियत राज्य का पहला क़दम, रूस को अंतर–साम्राज्यवादी युद्ध से बाहर निकालना था। रूस ने युद्ध के बाद, दुनिया को आपस में बांटने के साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच किये गए, गुप्त समझौतों का खुलेआम पर्दाफ़ाश कर दिया था।

शेष पृष्ठ 2 पर

अंदर पढ़ें

- कॉमरेड कुल श्रेष्ठ का निधन 2
- सिखों के जनसंहार की 39वीं बरसी पर सार्वजनिक सभा 3
- जलंधर में 32वां ग़दरी मेला सफलापूर्वक संपन्न 4
- कोयला मज़दूरों ने निजीकरण का विरोध किया 5
- गन्ना किसान अपना बकाया मांग रहे हैं 5
- फिलिस्तीनी लोगों का इजरायल द्वारा जनसंहार 6
- इमारतों, अस्पतालों और शरणार्थी शिविरों पर बमबारी 6
- कोच फैक्ट्री के मज़दूर निजीकरण का विरोध कर रहे हैं 7

कॉमरेड एस.के. कुलश्रेष्ठ के निधन पर शोक

कॉमरेड एस.के. कुलश्रेष्ठ का, लगभग एक साल तक जानलेवा बीमारी से जूझने के बाद, 5 नवंबर को निधन हो गया।

उनका जन्म 21 अक्तूबर, 1941 को नरहपुर गांव, अलीगढ़, यूपी में हुआ था। स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद, वे 1963 में भारतीय रेल में शामिल हो गए। वे एक स्टेशन मास्टर बन गए और ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन (ए.आई.एस.एम.ए.) में शामिल हो गए। उन्होंने 1974 की रेलवे की ऐतिहासिक हड़ताल में सक्रिय रूप से भाग लिया था। रेल प्रशासन ने हड़ताली मज़दूरों पर क्रूरतापूर्वक कार्रवाई की और पूरे देश में हजारों रेलवे कर्मचारी कार्यकर्ताओं को सेवा से बर्ख़ास्त कर दिया था। कामरेड एस.के. कुलश्रेष्ठ उन सक्रिय नेताओं में से एक थे और उन्हें भी सेवा से बर्ख़ास्त कर दिया गया था। परन्तु बाद में कॉमरेड कुलश्रेष्ठ सहित कई लोगों को बहाल कर दिया गया था।

कॉमरेड कुलश्रेष्ठ ए.आई.एस.एम.ए. के केंद्रीय आयोजन सचिव (सी.ओ.एस.) बने और रेलवे कर्मचारियों के केटेगरी–वार संगठनों की छत्र संस्था, अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी परिसंघ (ए.आई.आर.ई.सी.) के केंद्रीय पदाधिकारी (सी.ओ.बी.) भी थे।

वे एक कम्युनिस्ट और रेलवे कर्मचारियों के अग्रणी संगठनकर्ता थे। 2001 में रेलवे से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने मज़दूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ना जारी रखा और वे भारतीय रेल के कठोर डी. एंड ए. आर. (अनुशासन और अपील नियम) के तहत पीड़ित 1,000 से अधिक मज़दूरों के मामले लड़े। वे इन नियमों के क़ानूनी विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते थे और उन्होंने इन नियमों के तहत दंडित किये गये और यहां तक कि सेवा से हटाये गये कर्मियों का सफलतापूर्वक बचाव किया और उन्हें बहाल करवाया।

अपने बाद के वर्षों में वे हमारी पार्टी के क़रीब आए और उन्होंने रेलवे के कर्मचारियों की कई बैठकें आयोजित कीं, जिन्हें हमारी पार्टी के साथियों ने संबोधित किया।

वे अपनी आख़िरी सांस तक मज़दूर वर्ग के हित के लिए सेनानी बने रहे थे और हम उनकी याद में अपना लाल झंडा झुकाते हैं।

कॉमरेड एस.के. कुलश्रेष्ठ अमर रहें!

महान अक्तूबर समाजवादी क्रांति की 106वीं वर्षगांठ पर

पृष्ठ 1 का शेष

मज़दूरों और किसानों की हुकूमत की राजनीतिक व्यवस्था उन सभी व्यवस्थाओं के बिल्कुल विपरीत थी, जो उस समय के अगुवा पूंजीवादी देशों में मौजूद थीं, जहां पर सिर्फ़ एक अमीर अल्पसंख्यक तबके के पास ही फ़ैसले लेने की शक्ति होती थी। अक्तूबर क्रांति के बाद रूस में मज़दूरों, किसानों और सैनिकों ने 'सोवियत' नामक अपने जन–संगठनों के माध्यम से, अपनी फ़ैसले लेने की शक्ति को लागू किया। प्रत्येक सोवियत के सदस्यों को चुनाव में खड़े होने और अपने प्रतिनिधि को चुनने के अधिकार के साथ–साथ, किसी भी समय अपने निर्वाचित प्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार भी प्राप्त हुआ।

श्रमजीवी क्रांति के द्वारा अपनी राज्य सत्ता को स्थापित करने के बाद, समाज में मौजूद सामंतवाद के सभी अवशेषों से मुक्ति पाना राज्य का पहला क़दम था। सोवियत राज्य ने जमींदारों से सैकड़ों करोड़ एकड़ कृषि भूमि छीन ली और उन्हें किसान समितियों को सौंप दिया। इस प्रकार से किसानों को भू–दासता से मुक्त किया गया था।

सोवियत राज्य ने सभी प्रकार के भेदभाव और उत्पीड़न से महिलाओं की मुक्ति पर, मुख्य रूप से ध्यान दिया। महिलाओं को उत्पादक–कार्यों और समाज के सभी मामलों में भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए, कई दूरगामी क़दम लिए गए।

राष्ट्रीय उत्पीड़न को ख़त्म करना श्रमजीवी लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक थी। सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ (यू.एस.एस.आर.) की स्थापना लोगों के एक स्वैच्छिक संघ के रूप में की गई थी, जिसमें प्रत्येक घटक राष्ट्र को आत्म–निर्धारण के अधिकार के साथ–साथ, संघ से अलग होने का अधिकार भी प्राप्त था। वह एक ज्वलंत मिसाल थी, जिससे दुनियाभर में राष्ट्रीय मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे उत्पीड़ित लोग बहुत प्रेरित हुए थे।

अक्तूबर क्रांति के बाद, पहले कुछ महीनों के दौरान, सोवियत राज्य ने बड़े पूंजीपतियों की पूंजी पर क़ब्ज़ा कर लिया और बड़े पैमाने के उद्योग, परिवहन, बैंकिंग और व्यापार को सार्वजनिक मालिकी वाले सामाजिक कारोबारों में बदल दिया था। 1920 के दशक के दौरान, सोवियत राज्य ने ग़रीब किसानों को, स्वेच्छा से अपनी ज़मीनों को एक साथ इकट्ठा करके, बड़े पैमाने पर सामूहिक–फार्म बनाने के लिए प्रेरित किया। सभी मेहनतकश लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सभी ज़रूरी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण को एक सांझी योजना के तहत लाया गया। एक नई आर्थिक व्यवस्था उभरकर आई, जिसमें न तो बेरोज़गारी थी और न ही महंगाई। मेहनतकश लोगों के जीवन–स्तर में साल दर साल लगातार उन्नति हुई।

जबकि संयुक्त राज्य अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को 1929 में शुरू हुई महामंदी के असहनीय नतीजों का सामना करना पड़ा था, तो सोवियत संघ की समाजवादी अर्थव्यवस्था में तीव्र गति से, बेरोक, सबतरफा विकास होता रहा।

सोवियत संघ में समाजवाद की प्रगति ने दुनिया के सभी देशों के मज़दूर वर्ग और उत्पीड़ित लोगों को प्रेरित किया था। उसने लोगों को यह दिखाया था कि एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना संभव है जिसमें न कोई पूंजीपति हो और न कोई जमींदार हो। सोवियत संघ में समाजवाद की स्थापना और प्रगति ने उपनिवेशवादी हुकूमत, साम्राज्यवाद और सभी प्रकार के शोषण से लोगों की मुक्ति का रास्ता खोल दिया था।

रूस में श्रमजीवी क्रांति के कारण, विश्व बाज़ार का एक बड़ा हिस्सा साम्राज्यवादी शक्तियों के प्रभाव और नियंत्रण क्षेत्र से बाहर हो गया था। इससे पूंजीवाद का विश्वव्यापी संकट और अधिक गहरा हो गया। इससे अंतर–साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा तथा अंतर–साम्राज्यवादी अंतर्विरोध और अधिक तीव्र हो गए, जिसके फलस्वरूप, द्वितीय विश्व युद्ध की हालतें पैदा हुईं।

द्वितीय विश्व युद्ध, 1939 में दुनिया को फिर से बांटने के लिए एक और अंतर–साम्राज्यवादी युद्ध के रूप में शुरू हुआ था। जर्मनी, जापान और इटली जैसी नई उभरती शक्तियों के साम्राज्यवादी सरमायदारों ने ब्रिटेन और फ्रांस जैसी पुरानी उपनिवेशवादी शक्तियों के क़ब्ज़े वाले क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए, हथियारबंद हमलावर जंग का रास्ता अपनाया था।

बरतानवी–अमरीकी साम्राज्यवादियों ने एक सुनियोजित तरीके से, नाज़ी जर्मनी को हथियारबंद किया और उसे सोवियत संघ पर हमला करने के लिए उकसाया। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी (बोल्शेविक) ने फासीवादी हमलावरों से लड़ने और अपनी समाजवादी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए सोवियत संघ के लोगों को संगठित किया और उनको नेतृत्व दिया। नाज़ी फासीवादियों के क़ब्ज़े वाले सभी देशों में कम्युनिस्टों ने क़ब्ज़ाकारी ताक़तों के ख़िलाफ़ संघर्ष में, बड़ी बहादुरी से लोगों को अगुवाई दी। इस प्रकार, अंतर–साम्राज्यवादी युद्ध को फासीवाद–विरोधी लोकयुद्ध में बदल दिया गया। सोवियत संघ की जनता और उसकी लाल सेना ने अन्य देशों के लोगों के साथ मिलकर, फासीवाद को हराने और विश्व युद्ध को समाप्त करने में एक निर्णायक भूमिका निभाई थी।

हालांकि आज सोवियत संघ अस्तित्व में नहीं है, परन्तु पूंजीवाद और समाजवाद के बीच ज़िन्दगी और मौत का संघर्ष, विश्व स्तर पर वर्तमान मानव समाज के मूलभूत अंतर्विरोध के रूप में बदस्तूर बना हुआ है। एक तरफ़ उत्पादन का सामाजिक चरित्र और दूसरी तरफ़ सभी आर्थिक फ़ैसलों के पीछे निजी मुनाफ़े का उद्देश्य – इनके बीच एक मूलभूत अंतर्विरोध के रूप में यह प्रकट होता है। यह पूंजीवादी देशों के अन्दर शोषकों और शोषितों के बीच, तथा दुनिया में साम्राज्यवाद और उत्पीड़ित राष्ट्रों व लोगों के बीच संघर्ष के रूप में प्रकट होता है। पूंजीवाद और समाजवाद की परस्पर–विरोधी सामाजिक व्यवस्थाओं के बीच टकराव ही विनाशकारी जंग की प्रवृत्ति और शांति क़ायम करने के प्रयासों के बीच विवाद की मूल वजह है।

साम्राज्यवादी उद्देश्यों से प्रेरित पूंजीवाद विनाशकारी जंग के बिना आगे नहीं बढ़ सकता है। पूंजीपति हुक्मरान वर्ग इस व्यवस्था में बार–बार आने वाले आर्थिक संकटों को रोकने में असमर्थ है। वह बेरोज़गारी, मुद्रास्फीति और मानव श्रम के लगातार बढ़ते शोषण को रोकने में असमर्थ है। लगभग सभी पूंजीवादी देशों में लोकतांत्रिक एवं मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन जारी है। पूंजीपतियों के राज को बदलकर श्रमजीवी वर्ग की हुकूमत की स्थापना और पूंजीवादी व्यवस्था को बदलकर समाजवाद की स्थापना ही, शोषण को समाप्त करने, लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित करने और दुनिया में स्थायी शांति सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीक़ा है।

21वीं सदी में अब तक उत्पादक शक्तियों का अभूतपूर्व और अकल्पनीय स्तर तक विकास हुआ है। आधुनिक प्रौद्योगिकी ने संपूर्ण मानव जाति के लिए खुशहाली और सुरक्षा सुनिश्चित करने की हालतें और संभावनायें पैदा कर दी हैं। लेकिन इसे हक़ीक़त में बदलने के लिए, मज़दूर वर्ग को पूंजीवादी व्यवस्था के ख़िलाफ़ क्रांति में उठना होगा, सत्ता को अपने हाथों में लेना होगा और वर्तमान अर्थव्यवस्था को, पूंजीवादी–लालच को पूरा करने के बजाय समाज की मानवीय ज़रूरतों को पूरा करने की नयी दिशा देनी होगी।

अक्तूबर क्रांति द्वारा दिखाया गया रास्ता ही मानव समाज को वर्तमान ख़तरनाक और विनाशकारी रास्ते से मुक्त कराने का एकमात्र तरीक़ा है।

http://hindi.cgpi.org/24239

बिजली का निजीकरण समाज के हितों के विरुद्ध है

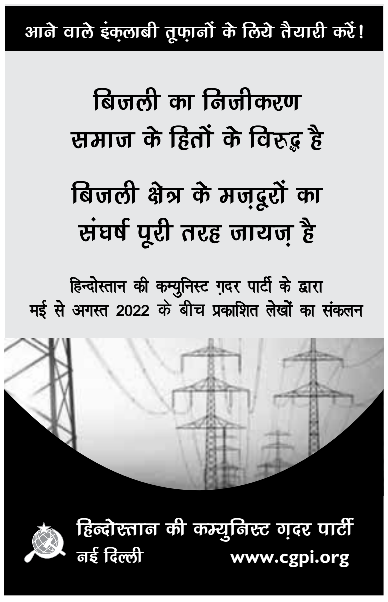

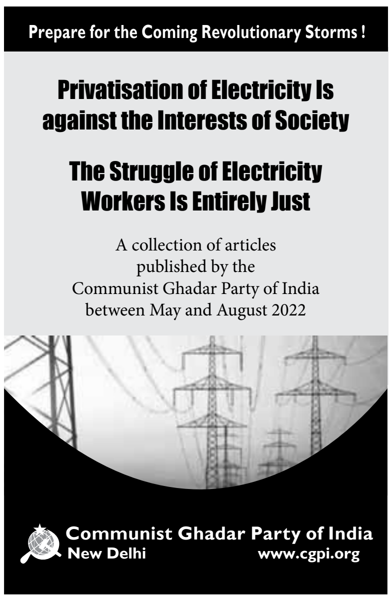

सिखों के जनसंहार की 39वीं बरसी पर जन सभा :

न्याय के लिए संघर्ष से सबक

सिखों के भीषण जनसंहार की 39वीं बरसी पर 1 नवंबर को नई दिल्ली में एक सभा आयोजित की गई। सभा में राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता, छात्र, नोजवान तथा समाज के सभी तबकों के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए।

सभा का आयोजन लोक राज संगठन, जमात–ए–इस्लामी हिंद, हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, द सिख फोरम, लोकपक्ष, यूनाइटेड मुस्लिम्स फ्रंट, सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी, स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गनाइजेशन, सी.पी.आई.एम.एल. (न्यू प्रोलेतेरियन), मज़दूर एकता कमेटी, पुरोगामी महिला संगठन और हिंद नौजवान एकता सभा द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था।

सभा स्थल पर एक बड़ा बैनर लगाया गया था जिस पर लिखा था :

1984 में हुये सिखों के जनसंहार की 39वीं बरसी के अवसर पर :

फिरक़ापरस्ती की राजनीति का विरोध करें!

एकता और अमन–चैन के लिए संघर्ष करें!

सभा को लोक राज संगठन के अध्यक्ष श्री एस. राघवन; जमात–ए–इस्लामी हिंद के श्री सलीम इंजीनियर; यूनाइटेड मुस्लिम्स फ्रंट के एडवोकेट शाहिद अली; सिख फोरम के श्री लल्ली साहनी; लोकपक्ष के कामरेड कृष्णकांत सिंह; हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के प्रवक्ता कॉमरेड प्रकाश राव; वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के श्री मोहम्मद आरिफ; इंक़लाबी मज़दूर केंद्र के कॉमरेड मुन्ना प्रसाद और स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गनाइजेशन के श्री अब्दुल्ला ने संबोधित किया।

सभी वक्ताओं ने सरकर के उस झूठे प्रचार को दृढ़ता से ख़ारिज़ कर दिया कि 39 साल पहले श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उन भयानक दिनों में जो कुछ हुआ, वह एक "दंगा" या "भावनाओं का स्वतः स्फूर्त फूट पड़ना" था। 1984 के उन भयानक दिनों में जो कुछ हुआ था, उसकी एकजुट निंदा करते हुए सभी ने कहा कि वह राज्य द्वारा आयोजित सिखों का जनसंहार था।

उन्होंने स्पष्ट और विस्तार से बताया कि कैसे, इस राजधानी दिल्ली में 31 अक्तूबर से 3 नवंबर, 1984, के दौरान सत्तारूढ़ पार्टी के शीर्ष नेताओं के नेतृत्व में, पेट्रोल बमों और मतदाता सूचियों से लैस हथियारबंद गिरोहों ने सिख धर्म के लोगों का बेरहमी से क़त्लेआम किया, महिलाओं के साथ बलात्कार किया, सिख समुदाय की संपत्तियों को लूटा और नष्ट किया था। यह दिल्ली पुलिस की आंखों के सामने हुआ, जो सीधे तौर पर केंद्रीय गृहमंत्री के आदेशानुसार काम करती है। पुलिस ने सक्रिय रूप से सिखों को निहत्था कर दिया और क़ातिलाना गिरोहों को प्रोत्साहित किया था। सेना के सेवानिवृत्त अधिकारियों, राजनयिकों, संसद के प्रमुख सदस्यों, पत्रकारों और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की लगातार अपील के बावजूद, तत्कालीन गृहमंत्री ने जनसंहार को रोकने के लिए कोई भी क़दम उठाने से इनकार कर दिया था। हिन्दोस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने दो सप्ताह बाद, दिल्ली में एक विशाल रैली में इस जनसंहार को यह कहकर उचित ठहराया था, कि "जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है"।

वक्ताओं ने कहा कि एक प्रधानमंत्री की उनके ही सुरक्षाकर्मियों द्वारा हत्या से हुक्मरानों के अन्दर मौजूद बेहद तीव्र अंतरविरोध ज़ाहिर होता है। खुफ़िया एजेंसियों और प्रधानमंत्री की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी संभालने वालों की भूमिका और साथ ही, हिन्दोस्तान में अपने हितों को आगे बढ़ाने की कोशिश करने वाली बरतानवी–अमरीकी साम्राज्यवादी एजेंसियों की भूमिका की गंभीरता से जांच करने की आवश्यकता थी। इसके बजाय, जानबूझकर कथित हत्यारों की धार्मिक पहचान को उजागर करके, हुक्मरानों ने सिखों के जनसंहार को उचित ठहराया, लोगों की एकता को तोड़ा और हुक्मरान वर्ग के आपस–बीच के संकट से लोगों का ध्यान हटा दिया। वक्ताओं ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जनसंहार के लिए आधार तैयार करने के इरादे से, तीन साल से लगातार सिखों को "आतंकवादी" और "राष्ट्र–विरोधी" बताते हुए प्रचार की मुहिम चलायी जा रही थी।

पिछले 39 वर्षों से लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार श्रीमती गांधी की हत्या और 1984 के जनसंहार के पीछे की सच्चाई को उजागर करे। लेकिन सत्ता में आने वाली हर सरकार सिर्फ़ जांच आयोग स्थापित करती आई है। इन आयोगों ने जनसंहार के आयोजन में केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय और राज्य की विभिन्न एजेंसियों की भूमिका को छुपाया है। कमान की ज़िम्मेदारी के असूल, जिसके अनुसार सत्ता के उच्चतम स्तर पर बैठे अधिकारियों को आम लोगों के ख़िलाफ़ आयोजित सभी अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, को नज़रंदाज कर दिया गया है।

वक्ताओं ने राज्य द्वारा आयोजित भयानक सांप्रदायिक हिंसा और राजकीय आतंक की बार–बार होने वाली घटनाओं पर ध्यान आकर्षित किया – 1987 में उत्तर प्रदेश में मलियाना और हाशिमपुरा जनसंहार, 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद का जनसंहार, 2002 में गुजरात का सांप्रदायिक जनसंहार, 2008 में कंधमाल, 2013 में मुज़फ्फरनगर, 2020 में पूर्वोत्तर दिल्ली और अन्य कई। इन सभी हादसों का यही निष्कर्ष निकलता है कि हमारे हुक्मरान अपने आपस–बीच के संकट को छिपाने और मज़दूरों और किसानों की एकता को तोड़ने के लिए इसी तरीक़े का इस्तेमाल करते रहे हैं। 'फूट डालो और राज करो' की राजनीति, एक विशेष धार्मिक आस्था के लोगों को निशाना बनाना, एक समुदाय को दूसरे के ख़िलाफ़ भड़काना, सांप्रदायिक आधार पर वोट बैंक बनाना – ये सभी, लोगों की एकता को तोड़ने और उनके ज़मीर के अधिकार का उल्लंघन करने के लिए, हुक्मरान वर्ग के पसंदीदा हथियार बन गए हैं।

कई वक्ताओं ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ऐसे हादसे सीधे तौर पर सबसे बड़े हिन्दोस्तानी और विदेशी इजारेदार पूंजीवादी घरानों की सेवा में हैं, जो अपने मुनाफ़े को अधिकतम करने के लिए, हमारे श्रम के शोषण और हमारी भूमि और प्राकृतिक संसाधनों की लूट के ख़िलाफ़ मेहनतकश लोगों के एकजुट संघर्ष को कुचलना चाहते हैं। इसीलिए, चाहे सरकार किसी भी राजनीतिक पार्टी की हो, हम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारे हुक्मरान कभी सच्चाई उजागर करेंगे या उन लोगों को सज़ा देंगे जिन्होंने 1984 के जनसंहार या अन्य सांप्रदायिक जनसंहारों की साजिश रची थी। केवल लोगों का एकजुट संघर्ष ही यह सुनिश्चित कर सकता है कि हमारे हुक्मरान बार–बार अपनी पैशाचिक योजनाओं को अंजाम देने में सफल न हो सकें।

वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में लोगों के पास फ़ैसले लेने की ताक़त नहीं है। राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक जनसंहारों के सामने लोग असहाय हैं। इस स्थिति को बदलने के लिए, सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक हिंसा को ख़त्म करने के संघर्ष को, लोगों को सत्ता में लाने के लक्ष्य के साथ करना ज़रूरी है। हमें राजनीतिक व्यवस्था को बदलने के लिए एकजुट होना चाहिए ताकि फ़ैसले लेने की शक्ति लोगों के हाथ में हो। केवल तभी हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि धार्मिक आस्थाओं के आधार पर किसी का भी उत्पीड़न न हो, और जीवन के अधिकार, ज़मीर के अधिकार और अन्य सभी मानव और लोकतांत्रिक अधिकारों की गारंटी हो।

सभा में भाग लेने वाले सभी संगठनों ने इस संकल्प को फिर से दोहराया कि वे लोगों की एकता और एकजुटता की रक्षा करने और उसे मजबूत करने तथा हुक्मरान वर्ग की सांप्रदायिक और बंटवारे की राजनीति को हराने के लिए वचनबद्ध हैं।

http://hindi.cgpi.org/24237

मज़दूरों और किसानों के लिए ...

पृष्ठ 1 का शेष

हम मज़दूरों और किसानों को हिन्दोस्तान का भविष्य अपने हाथों में लेने के लिए तैयार होना होगा। हमारे मांगपत्र में राजनीतिक व्यवस्था और चुनावी प्रक्रिया को बदलने के क़दम शामिल होने चाहिएं। हमें ऐसे बदलावों के लिए संघर्ष करना होगा जो फ़ैसले लेने की शक्ति हमारे हाथों में लाने का काम करेंगे।

वर्तमान व्यवस्था में, जो पार्टी बहुमत सीटें जीतती है, उसे सरकार बनाने का मौका मिलता है और वह अपनी इच्छानुसार नीतिगत फ़ैसले ले सकती है। वह केवल उसके चुनाव अभियान के लिए धन देने वाले पूंजीपतियों के प्रति जवाबदेह है। वह संसद के प्रति जवाबदेह नहीं है। संसद सदस्य अपनी पार्टी के आला कमान के प्रति जवाबदेह होते हैं, न कि उन्हें चुनने वाले मतदाताओं के प्रति। इस स्थिति को बदलना होगा।

संविधान को लोगों के हाथों में संप्रभुता देनी चाहिए। कार्यकारी शक्ति रखने वाले मंत्रियों को निर्वाचित विधायी निकाय के प्रति जवाबदेह होना चाहिए और सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को मतदाताओं के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। हम मज़दूरों और किसानों को निर्वाचित प्रतिनिधियों को जवाबदेह ठहराने और अगर वे हमारे हितों के लिए काम नहीं करते हैं तो उन्हें किसी भी समय वापस बुलाने का अधिकार होना चाहिए। हमें क़ानूनों और नीतियों को प्रस्तावित करने या अस्वीकार करने का अधिकार होना चाहिए। चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन में हमारी भी भागीदारी होनी चाहिए।

जब तक अति–अमीर पूंजीपतियों को अपनी विश्वसनीय पार्टियों के चुनाव अभियानों के लिए धन देने की इजाज़त दी जाती है, तब तक मज़दूरों और किसानों के उम्मीदवारों के लिए निर्वाचित होना बेहद मुश्किल होगा। न केवल चुनावी बांड के तंत्र को बल्कि चुनाव अभियानों के सभी प्रकार के कॉर्पोरेट फंडिंग को समाप्त करना आवश्यक है। राज्य को उम्मीदवारों के चयन और चयनित उम्मीदवारों के चुनाव अभियान की पूरी प्रक्रिया के लिए धन देना चाहिए।

हमें यू.ए.पी.ए. जैसे कठोर क़ानूनों – जो सरकार की आलोचना करने वाले किसी भी व्यक्ति की गिरफ़्तारी और अनिश्चित काल तक कारावास की इजाज़त देते हैं – को रद्द करने की मांग करनी चाहिए और इसके लिए संघर्ष करना चाहिए। हमें मांग करनी चाहिए कि जब लोगों के किसी भी हिस्से पर उनके धर्म या जाति के आधार पर हमला किया जाता है, तो सत्ता पर बैठे ज़िम्मेदार अधिकारियों को सज़ा दी जाए। हमें सभी लोकतांत्रिक और मानव अधिकारों के लिए संविधानीय गारंटी की मांग करनी चाहिए।

हुक्मरान सरमायदार वर्ग हमेशा चुनावी मुक़ाबलों का इस्तेमाल करके हमारी एकता को तोड़ने और हमारी लड़ने की क्षमता को कमज़ोर करने की कोशिश करता है। हमें सरमायदारों की विभाजनकारी कार्यनीति से बचकर, अपनी एकता की हिफ़ाज़त करनी होगी और उसे ज्यादा मजबूत करना होगा।

मज़दूरों और किसानों को देश का हुक्मरान बनना होगा और अर्थव्यवस्था को एक नयी दिशा दिलानी होगी ताकि सबके लिए सुरक्षित रोज़गार और खुशहाली सुनिश्चित की जा सके। हमें यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि, बिना किसी अपवाद के, समाज के सभी सदस्यों के लोकतांत्रिक अधिकारों और मानव अधिकारों की सुरक्षा की जाये।

उदारीकरण और निजीकरण की राजनीति को हराएं!

सबको रोज़गार की सुरक्षा के लिए संघर्ष को आगे बढ़ाएं!

सांप्रदायिक हिंसा और राजकीय आतंकवाद के ख़िलाफ़ एकजुट हों!

लोकतांत्रिक और मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए एकजुट हों!

मज़दूरों और किसानों की हुकूमत स्थापित करने के लिए संघर्ष को आगे बढ़ाएं!

मज़दूर एकता लहर
(इंटरनेट संस्करण)
हिन्दी : www.hindi.cgpi.org
अंग्रेजी : www.cgpi.org
मराठी : www.marathi.cgpi.org
पंजाबी : www.punjabi.cgpi.org
तामिल : www.tamil.cgpi.org

जलंधर में साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष को समर्पित 32वां ग़दरी मेला सफलापूर्वक संपन्न हुआ

30 अक्तूबर से 1 नवम्बर तक पंजाब के जलंधर शहर में, देश भगत यादगार हॉल में, देश भगत यादगार कमेटी ने 32वां ग़दरी मेला का आयोजन किया। मेला ग़दरी बाबाओं की साम्राज्यवाद विरोधी परंपरा को आगे ले जाते हुये, लोगों के साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष को समर्पित था। फ़िलिस्तीन के लोगों के संघर्ष को कुचलने के लिये इज़रायल द्वारा उनका जनसंहार किया जा रहा है। मणिपुर के लोग राज्य द्वारा आयोजित आतंक के शिकार हुये हैं। इन विषयों पर मेले में सभायें हुईं।

मेले में एक विशेष सत्र में प्रगतिशील किताबों का विमोचन किया गया। हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के नए प्रकाशन, 'हिन्दोस्तान पर कौन राज करता है?' नामक किताब का विमोचन हिन्दी, पंजाबी और अंग्रेजी भाषाओं में किया गया। पंजाबी भाषा की कई किताबों का विमोचन किया गया। उनमें शामिल थे – किससे लाहौर दे; मोया दे खत; मैं क्यों सुनावा फैसला; चारू मजूमदार दीयां लिखतां; पैरिस कम्यून दे बारे; फासीवाद या सोशलिज्म; इक सच्चे कामरेड दा इकलापा; घुसर–मुसर ज़िन्दगी; सपारटकस; असली इंसान दी कहानी; मैं क्यों जावां अपने शहर; धरत बिहूणे लोक, आदि।

मेले में हजारों की संख्या में मज़दूरों, किसानों, महिलाओं, युवकों और युवतियों ने हिस्सा लिया। बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलाकार, गीतकार, शिक्षक, वकील, विद्यार्थी और देश–विदेशों से आये लोगों ने भी इसमें हिस्सा लिया।

जलंधर में यह मेला, 1913 में बनी हिन्दुस्तान ग़दर पार्टी के शहीदों को याद करने के लिये, पिछले कई दशकों से प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। शोषण–दमन ख़त्म करने और अपने देश को उपनिवेशवादी अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिये हिन्दुस्तान ग़दर पार्टी के सदस्यों ने अपने प्राणों की आहूती दी थी। मेले का मक़सद है कि हमारी आने वाली पीढ़ी, ग़दरियों से सबक ले और शोषण–दमन के ख़िलाफ़ लड़ने को प्रेरित हो।

देश भगत यादगार हॉल के पूरे परिसर को हिन्दुस्तान ग़दर पार्टी के झंडों से सज़ाया गया था। जगह–जगह पर ग़दरी बाबाओं के कहे गये आह्वानपूर्ण वाक्यांशों के पोस्टर और बैनर लगाये गये थे। क्रांतिकारी कलाकारों की बनाई गई पेंटिंग और फोटो की प्रदर्शनी लगाई गई थी जिसे लोग बड़े उत्साह से देख रहे थे।

मेले में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर कई सभायें आयोजित की गई थीं। इन सभाओं में मणिपुर में हो रहे राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक क़त्लेआम और फिलिस्तीन में अमरीकी साम्राज्यवाद की शह पर इज़रायल द्वारा किये जा रहे सामूहिक जनसंहार, जैसे विषयों पर वक्ताओं ने अपनी बातें रखीं। उपरोक्त विषयों पर संबोधित करने वालों में शामिल थे – तीस्ता सीतलवाड़, सिद्धार्थ वरदराजन, विनीत तिवारी, आदि।

मेले के दौरान अनेक सांस्कृति कार्यक्रम आयोजित किये गये। इनमें कई कलाकारों ने राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर नाटक और गीत पेश किये। यहां पर बच्चों के लिये चित्रकला और निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में सैकड़ों छात्रों और छात्राओं ने हिस्सा लिया।

1 नवंबर को कामरेड सुरेन्दर कुमारी कोछड़ ने ग़दर पार्टी का झंडा फहराया। इसके बाद ग़दरियों के क्रांतिकारी इतिहास पर एक बहुत ही संगीतपूर्ण, रोचक और उत्साहपूर्ण सांकृतिक प्रस्तुति पेश की गई।

मेले के अंत में एक नाटक पेश किया गया जिसका नाम था 'गगन दमामा बाज्यो'। यह नाटक शहीद भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों के जीवन पर आधारित था। इस पूरे मेले का समापन 2 नवंबर की सुबह को, 'इंक़लाब ज़िन्दाबाद!', 'साम्राज्यवाद मुर्दाबाद!', 'ग़दरी शहीदों को लाल सलाम!', के नारों के साथ हुआ।

http://hindi.cgpi.org/24235

कोयला मज़दूरों ने निजीकरण का विरोध किया

कोलियरी मज़दूर सभा ऑफ़ इंडिया (सी.एम.एस.आई.) ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के आसनसोल में निजीकरण विरोधी सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में कोयला खनन उद्योग के विभिन्न कार्यों का निजीकरण करने की केंद्र सरकार की कोशिशों पर ध्यान आकर्षित किया गया। इस मीटिंग में इस बात का पर्दाफ़ाश किया गया कि निजी कंपनियों को मुनाफ़ा दिलाने के लिये कैसे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को बर्बाद किया जा रहा है। केंद्र सरकार पहले ही सार्वजनिक क्षेत्र की कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.) के 37 फीसदी शेयर बेच चुकी है।

आज कोयला उत्पादन तेज़ी से निजी कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। माइन रेवेन्यू शेयरिंग पोलिसी (ख़दान राजस्व सांझाकरण नीति) के तहत केंद्र सरकार सक्रिय कोलियरियों को निजी कंपनियों को सौंप रही है। सरकार इसे जायज़ ठहराने के लिए कह रही है कि कोयला उत्पादन कर रही ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ई.सी.एल.) जैसी कई सरकारी कंपनियां घाटे में चल रही हैं और "राजस्व–सांझाकरण मॉडल" के ज़रिये निजी कंपनियों को शामिल करने से इनकी वित्तीय स्थिति सुधर जायेगी। यह दावा खोखला है, क्योंकि इस तरह के क़दमों से सरकारी कंपनियों के लाभदायक व्यवसायों को निजी कंपनियों को हस्तांतरित किया जा रहा है, जबकि घाटे में चल रहे व्यवसाय सरकारी कंपनियों के पास रहेंगे। नतीजन, सरकारी कोयला उत्पादक कंपनियों की वित्तीय स्थिति और भी बिगड़ जायेगी।

सम्मेलन में मज़दूर नेताओं ने बताया कि 36 कोयला खदानों पर राजस्व–सांझाकरण मॉडल लागू हो रहा है। इसके तहत (सांझेदार) निजी कंपनी द्वारा अपने मुनाफ़े का केवल 4 प्रतिशत शुल्क का भुगतान करना पड़ता है और यह भुगतान करने के बाद कंपनी को खनन करने की पूरी इजाज़त मिल जाती है। इस प्रकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों द्वारा, सार्वजनिक धन का उपयोग करके, खदानों को विकसित करने के बाद, निजी कंपनियों द्वारा बुनियादी ढांचे के विकास पर निवेश किये बिना ही, उन्हें मुनाफ़ा कमाने की इजाज़त मिल जाती है।

(फाइल फोटो)

सम्मेलन में वक्ताओं ने बताया कि कैसे इस क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों ने देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, कोयले की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए, तेज़ी से कोयले का उत्पादन बढ़ाया है। उन्होंने बताया कि 1971 और 1973 के बीच कोयला उत्पादन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था क्योंकि इससे पहले कोयला उत्पादन करने वाली निजी कंपनियां बिजली क्षेत्र और धातु उद्योग की कोयले की मांग को पूरा करने में असमर्थ थीं। राष्ट्रीयकरण के समय कोयला उत्पादन केवल 6.9 करोड़ टन था, जो अब बढ़कर 78 करोड़ टन हो गया है।

उत्पादन में दस गुने से अधिक की वृद्धि के बावजूद, ई.सी.एल. का प्रबंधन स्थायी मज़दूरों की संख्या में कटौती करता आया है। विभिन्न योजनाओं के ज़रिये ठेकेदारों के प्रबंधन में, प्रवासी मज़दूरों द्वारा खनन कार्य करवाया जा रहा है। 1990 के दशक में अकेले ई.सी.एल. में 1,82,000 स्थायी मज़दूर कार्यरत थे, जो अब घटकर केवल 52,000 रह गये हैं। उत्पादन की क्षमता को बनाए रखने के लिए, ई.सी.एल. को उत्पादन "सांझेदार कंपनियों" को आउटसोर्स करना पड़ता है, जिन्हें यह काम ठेका मज़दूरों से करवाने की छूट दी जाती है। इन कंपनियों में मज़दूरों से, पर्याप्त सुरक्षा सावधानियों के बिना और बिना भत्तों के बहुत कम वेतन पर 12 घंटे काम करवाया जाता है। ई.सी.एल. ने अभी तक 33 परियोजनाओं को आउटसोर्स कर दिया है।

कोयला क्षेत्र में सार्वजनिक उद्योगों की वित्तीय बीमारी के लिए केंद्र सरकार ज़िम्मेदार है। काफी लंबे समय से पुरानी भूमिगत खदानों के रख–रखाव पर ध्यान नहीं दिया गया है। इस उपेक्षा के कारण कई भूमिगत खदानें अनुपयोगी हो गई हैं।

कोयला क्षेत्र के घाटे में चलने का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण यह है कि सरकारी कोयला कंपनियों का प्रबंधन करने वाले अफ़सरशाहों ने इनके वित्तीय संसाधनों को नष्ट कर दिया है। विदेशी सहयोग और सलाहकारों को भारी शुल्क और रॉयल्टी का भुगतान किया गया है। मज़दूर नेताओं ने बताया है कि इनमें से कई विदेशी सलाहकारों को हिन्दोस्तान की ज़मीनी हक़ीक़त की जानकारी नहीं होती है। इसकी वजह से, जो महंगे आयातित उपकरण ख़रीदे गये थे और खनन कार्यों में जो बदलाव किये गये थे, उन्हें थोड़े ही वक़्त में छोड़ना पड़ा है। हालांकि ये परियोजनाएं अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाईं, फिर भी उनको हजारों करोड़ों रुपयों का भुगतान किया गया। ऐसे सलाहकारों की कुछ सिफ़ारिशों को लागू करने पर दुर्घटनाएं भी हुईं, जिनके परिणामस्वरूप जीवन और राजस्व की हानि हुई, फिर भी इन सलाहकारों को कभी भी जवाबदेह नहीं ठहराया गया है।

1990 के दशक से कोयला खनन को निजी कंपनियों के लिए खोला गया है। कोयले के बड़े उपयोगकर्ताओं को कोयला खनन की इजाज़त दी गयी। 1992 में केंद्र सरकार ने बिजली उत्पादन की निजी कंपनियों को अपने उत्पादन के लिए खदानें (कैप्टिव माइन्स) देने का निर्णय लिया था। 1973 के राष्ट्रीयकरण अधिनियम में संशोधन किया गया ताकि सरकार अपनी इच्छानुसार निजी कंपनियों को कैप्टिव माइंस दे सके। सीमेंट की निजी कंपनियों को 1996 में इस सूची में जोड़ा गया था। बिजली, इस्पात, सीमेंट और अन्य ऊर्जा–गहन क्षेत्रों में निजी कंपनियों को अपनी खदानें देने की वजह से सार्वजनिक उद्योगों को अधिक लाभदायक खदानों से वंचित कर दिया गया है। सिर्फ़ निष्क्रिय और कम लाभदायक भूमिगत कोयला खदानें सार्वजनिक कंपनियों के पास रह गयी हैं, जबकि खुली कोयला खदानें, जिनमें से बहुत कम लागत पर कोयला निकाला जा सकता है, उन्हें निजी कंपनियों को सौंपा जा रहा है।

सरकार की समाज–विरोधी और मज़दूर–विरोधी निजीकरण की कोशिशों के ख़िलाफ़ कोयला मज़दूरों का आंदोलन न्यायोचित है।

http://hindi.cgpi.org/24228

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान अपना बकाया मांग रहे हैं

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हज़ारों गन्ना किसान 18 अक्तूबर से आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि चीनी मिलें पिछले पेराई के मौसम (2022–23) का लगभग 4,000 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान करें। किसान इस बात से नाराज़ हैं कि गन्ने की पेराई का नया मौसम (1 अक्तूबर, 2023 – 30 सितंबर, 2024) शुरू हो चुका है, लेकिन उन्हें अभी तक पिछले वर्ष का पूरा भुगतान नहीं किया गया है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को कुछ राहत पाने से पहले हर साल विरोध प्रदर्शन करना पड़ता है। किसान ब्याज सहित बकाया भुगतान की मांग कर रहे हैं।

सरकार ने किसानों की मांगों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। चीनी मिलों के मालिकों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, सरकार हर साल सीज़न शुरू होने से पहले गन्ना का मूल्य घोषित करने में देरी करती है। किसानों के बकाये का भुगतान न करने पर सरकार चीनी मिलों के मालिकों पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। नए सीज़न की शुरुआत के साथ, किसानों का बकाया बढ़ जाता है, जिससे उनकी परेशानी बढ़ जाती है। गन्ना किसानों को गंभीर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वे पिछली फ़सल का क़र्ज़ नहीं चुका पाए हैं, जबकि मौजूदा फ़सल कटने के लिए तैयार है।

सीज़न शुरू होने से पहले ही राज्य सरकार द्वारा चालू सीज़न के लिए गन्ने का राज्य सलाहकार मूल्य (एस.ए.पी.) घोषित किया जाना चाहिये। परन्तु इस साल इसकी घोषणा नहीं की गयी है, जिससे किसानों के लिये चुनौतियां और बढ़ गयी हैं।

किसान तब तक अपना विरोध जारी रखने के लिए दृढ़ता से डटे हुये हैं, जब तक बकाये के भुगतान की उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती और पेराई के नये मौसम का भुगतान भी उन्हें नहीं मिल जाता।

http://hindi.cgpi.org/24232

(फाइल फोटो)

मज़दूर एकता लहर का वार्षिक शुल्क और अन्य प्रकाशनों का भुगतान आप बैंक खाते और पेटीएम में भेज सकते हैं

आप वार्षिक ग्राहकी शुल्क (150 रुपये) सीधे हमारे बैंक खाते में या पेटीएम क्यूआर कोड स्केन करके भेजें और भेजने की सूचना नीचे दिये फोन या वाट्सएप पर अवश्य दें।

खाता नाम–लोक आवाज़ पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रिब्यूटर्स
बैंक ऑफ महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली, कालका जी
खाता संख्या–20066800626, **ब्रांच नं.**–00974
IFSCode% MAHB0000974, मो.–9810167911
वाट्सएप और पेटीएम नं.-9868811998,
email: mazdoorektalehar@gmail.com

जनसभा में फ़िलिस्तीनी लोगों के ख़िलाफ़ इज़रायल द्वारा छेड़े गए जनसंहारक युद्ध की निंदा

7 नवंबर को फ़िलिस्तीनी लोगों के ख़िलाफ़ इज़रायल द्वारा जारी जनसंहारक युद्ध की निंदा करने के लिए दिल्ली में एक जनसभा आयोजित की गई थी।

बैठक का आयोजन सी.पी.आई., सी.पी.आई. (एम), सी.पी.आई. (एमएल), आर.एस.पी., ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक (ए.आई.एफ.बी.) और हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी (सी.जी.पी.आई.) द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। बैठक में बड़ी संख्या में मज़दूर, महिलाएं, युवा और छात्र शामिल हुए।

जन नाट्य मंच के सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं ने इज़रायली क़ब्ज़े के तहत फ़िलिस्तीनी लोगों के जीवन और स्थितियों और अपनी मातृभूमि के लिए उनके अदम्य संघर्ष का वर्णन करने वाली कविताएं सुनाईं।

बैठक को सीताराम येचुरी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के महासचिव; डी. राजा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव; दीपांकर भट्टाचार्य, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) के महासचिव; जी देवराजन, फॉरवर्ड ब्लॉक के राष्ट्रीय सचिव; रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के केंद्रीय सचिवालय के सदस्य आर. एस. डागर; और प्रकाश राव, हिन्दोस्तानी की कम्युनिस्ट गदर पार्टी के प्रवक्ता ने संबोधित किया। सी.पी.आई. (एम) पोलित ब्यूरो सदस्य प्रकाश करात द्वारा बैठक का समापन किया गया।

वक्ताओं ने फ़िलिस्तीनी लोगों के ख़िलाफ़ छेड़े गए जनसंहारक युद्ध के दौरान इज़रायल द्वारा की गई क्रूरता के बारे में बताया। उन्होंने तत्काल और बिना शर्त युद्धविराम के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव को लागू करने का आह्वान किया। उन्होंने युद्ध अपराधों को अंजाम देने के लिए अमरीका और उसके यूरोपीय सहयोगियों द्वारा इज़रायल को दिए गए खुले समर्थन की निंदा की। अमरीका के समर्थन से इज़रायल संयुक्त राष्ट्र के सभी प्रस्तावों का खुलेआम उल्लंघन कर

रहा है। अमरीकी साम्राज्यवाद ने इज़रायल को पहले से ही भारी वित्तीय और सैन्य समर्थन दिया है। अमरीका ने फ़िलिस्तीनी और अन्य अरब लोगों को धमकाने के लिए भूमध्य सागर में दो विमान वाहक और अन्य युद्धपोत तैनात किए हैं। उसने फ़िलिस्तीनी लोगों पर हमलों के समन्वय के लिए अपने विशेष बलों को इज़रायल भेजा है।

हिन्दोस्तान में फिलिस्तीनी राजदूत अदनान अबू अलहैजा ने बैठक को संबोधित किया। उन्होंने इज़रायली क़ब्ज़े के चलते, फ़िलिस्तीनी लोगों की भयानक स्थितियों को स्पष्ट रूप से समझाया। उन्होंने 1948 से आज तक फ़िलिस्तीनी लोगों के अपनी मातृभूमि के लिए संघर्ष के इतिहास के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इज़रायल की कार्रवाई फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ जनसंहार में बदल जाने के बावजूद अमरीका और उसके सहयोगियों ने युद्धविराम का विरोध किया है।

विभिन्न पार्टियों के वक्ताओं ने तत्काल युद्धविराम की मांग को लेकर दुनिया के अधिकांश देशों द्वारा अपनाए गए रुख़ को अपनाने से हिन्दोस्तानी सरकार के इनकार करने की निंदा की। संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान से दूर रहकर, हिन्दोस्तानी सरकार वास्तव में इज़रायल को फिलिस्तीनी लोगों के ख़िलाफ़ जनसंहारक युद्ध को जारी रखने के लिए हरी झंडी दिखा रही थी। वक्ताओं ने हिन्दोस्तानी सरकार से दुनिया के अधिकांश देशों के साथ मिलकर तत्काल और बिना शर्त युद्धविराम की मांग करने का आह्वान किया। उन्होंने हिन्दोस्तानी सरकार से फ़िलिस्तीनी लोगों के साथ खड़े होने और फ़िलिस्तीनी लोगों के अधिकारों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के कई प्रस्तावों के कार्यान्वयन के लिए लड़ने का आह्वान किया।

वक्ताओं ने तत्काल और बिना शर्त युद्धविराम की मांग को लेकर दुनियाभर में हो रहे बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों की सराहना की। भले ही अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी आदि की सरकारें फ़िलिस्तीनी लोगों के जनसंहार में इज़रायल का भरपूर समर्थन कर रही हैं, लेकिन ये प्रदर्शन दिखाते हैं कि इन देशों के लोग फ़िलिस्तीनी लोगों के संघर्ष के साथ एकजुट हैं, और चाहते हैं कि जनसंहार ख़त्म हो। दुनिया के बाकी लोगों की तरह, हिन्दोस्तान के लोग भी फ़िलिस्तीनी लोगों के संघर्ष में उनके साथ हैं। लेकिन हिन्दोस्तानी सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें इज़रायल के जनसंहारक युद्ध के ख़िलाफ़ किसी भी विरोध प्रदर्शन पर खुले तौर पर प्रतिबंध लगा रही हैं।

http://hindi.cgpi.org/24209

आवासीय इमारतों, अस्पतालों और शरणार्थी शिविरों पर बमबारी आत्मरक्षा नहीं बल्कि जनसंहार और युद्ध अपराध है

इंडियन वर्कर्स एसोसिएशन (ग्रेट-ब्रिटेन) का बयान, 11 नवंबर, 2023

7 अक्तूबर से लेकर अब पांच हफ़्ते हो गए हैं, जबसे इज़रायली क़ब्ज़े वाली सेना गाज़ा में नागरिक आवासों, अस्पतालों और यहां तक कि शरणार्थी शिविरों पर भी लगातार बमबारी कर रही है। उत्तरी गाज़ा से दक्षिण की ओर जाने वाले सड़कों पर भी लोगों को बख्शा नहीं जा रहा है।

लगभग 80 प्रतिशत इमारतें ज़मीन में धंस गईं हैं या रहने लायक नहीं रह गईं हैं, अनगिनत लोग मलबे के नीचे ज़िंदा दफ़न हो गए हैं। लगभग आधे अस्पताल बर्बाद हो गए हैं, घायलों को कोई सहायता नहीं दे सकते हैं और बाकी अस्पताल दवाओं और चिकित्सा उपकरणों, ऑक्सीजन सिलिंडर, एनेस्थेटिक्स, ईंधन, बिजली आदि की कमी के कारण केवल सीमित सेवा ही दे सकते हैं, क्योंकि जाउनवादियों ने सीमाओं की नाकेबंदी कर दी है।

11,000 से अधिक फ़िलिस्तीनी लोगों की हत्या कर दी गई है, जिनमें 4,500 से अधिक बच्चे और शिशु तथा 2,000 से अधिक महिलाएं शामिल हैं। अस्पतालों और एम्बुलेंसों पर बम विस्फोट से 195 से अधिक चिकित्सा कर्मचारी मारे गए हैं। हजारों लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। गाज़ा के लोग भोजन, पानी, बिजली और ईंधन से वंचित हो गए हैं।

इन सबको इज़रायल के "आत्मरक्षा" के अधिकार के तहत उचित ठहराया जा रहा है। क़ब्ज़ा करने वाली सेना बमबारी को सही ठहराने के लिए पूरी तरह से झूठे दावे करती है

कि हमास की सेना अस्पतालों के नीचे से काम कर रही है, जबकि इसका कोई सबूत नहीं है। लोगों की तबाही और उजाड़ने का स्तर इतना है कि इसे दूसरा नकबा (फ़िलिस्तीनियों का जातीय सफ़ाया) कहा जा रहा है। पहला नकबा 1948 में हुआ था जब फ़िलिस्तीनियों को उनके घरों और ज़मीनों से जबरन बेदखल करके इज़रायल की स्थापना की गई थी।

संयुक्त राष्ट्र आमसभा में भारी बहुमत से युद्ध विराम के पक्ष में एक प्रस्ताव पारित होने के बावजूद, दुनियाभर में लाखों–करोड़ों लोगों द्वारा फ़िलिस्तीनी जनसंहार के ख़िलाफ़ प्रदर्शन करने के बावजूद, इज़रायल ने गाज़ा में फ़िलिस्तीनी लोगों के ख़िलाफ़ अपने जनसंहारक युद्ध को रोकने से इनकार कर दिया है।

क्यों? क्योंकि दुनिया का सबसे प्रमुख सशस्त्र देश अमरीका, दुनिया में आतंकवाद का स्रोत, इज़रायल के तथाकथित आत्मरक्षा के अधिकार का बचाव कर रहा है। क्यों? क्योंकि अमरीका फ़िलिस्तीनी और अन्य अरब लोगों को कुचलने, उन्हें बांटने और अपने हितों की रक्षा करने के लिए तेल समृद्ध मध्य पूर्व में इज़रायल को अपनी पुलिस के रूप में इस्तेमाल करता है। अमरीका ने इज़रायल के जनसंहारक युद्ध में उसकी सहायता के लिए हथियार और धन दिए हैं। अमरीका के विशेष सैन्य बल इज़रायली क़ब्ज़े वाली सेना के साथ तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। अमरीका ने इज़रायल और गाज़ा के तट पर दो विमान वाहक और अन्य युद्धपोतों को खड़ा किया है और फ़िलिस्तीनी व अन्य अरब लोगों को धमकाने के लिए उस क्षेत्र में हजारों सैनिकों को भेजा है।

इज़रायल द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के ख़िलाफ़ हर हफ़्ते विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं। हज़ारों लोग फ़िलिस्तीनी लोगों के साथ अपनी एकजुटता दिखा रहे हैं, लेकिन ब्रिटिश सरकार इन प्रदर्शनों में

शेष पृष्ठ 7 पर

इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के मज़दूर कोच उत्पादन के निजीकरण का विरोध कर रहे हैं

चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (आई.सी.एफ.) के मज़दूर अक्तूबर के अंत से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वे 200 वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस ट्रेनों के निर्माण के लिए दो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ भारतीय रेल द्वारा किए गए समझौते का विरोध कर रहे हैं। अपने राजनीतिक संबंधों को एक तरफ़ करते हुये, सभी ट्रेड यूनियनें निजीकरण के समझौते का विरोध करने के लिए एक साथ आई हैं, जिसमें भाजपा की भारतीय मजदूर संघ (बी.एम.एस.) भी शामिल है।

1955 में स्थापित हुई आई.सी.एफ. पिछले 68 वर्षों में 70,000 कोच बनाने के रिकॉर्ड के साथ, दुनिया का सबसे बड़ा कोच निर्माता है। भारतीय रेल के लिए कोचों के निर्माण के अलावा, आई.सी.एफ. ने कई अन्य देशों को कोचों का निर्यात भी किया है। यह एक मुनाफ़ा कमाने वाली कंपनी है। आई.सी.एफ. के मज़दूर बार–बार कह रहे हैं कि ट्रेनों का उत्पादन निजी कंपनियों को सौंपने का कोई औचित्य नहीं है।

आई.सी.एफ. के मज़दूर इस बात से नाराज़ हैं कि वंदे भारत ट्रेन – जो भाजपा की वर्तमान सरकार की बहुप्रचारित परियोजनाओं में से एक है – के उत्पादन और रखरखाव को निजी इजारेदार पूंजीवादी कंपनियों को सौंपा जा रहा है। बताया जा रहा है कि भारतीय रेल ने चेन्नई की आई.सी.एफ. में 80 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों का निर्माण करने के लिए एक इतालवी कंपनी, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड (टी.आर.एस.एल.) और राज्य के स्वामित्व वाली भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बी.एच.ई.एल.) के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इसी तरह रूसी इंजीनियरिंग कंपनी ट्रांसमैशहोल्डिंग (टी.एम.एच.) और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड (आर.वी.एन.एल.) के संयुक्त उद्यम को लातूर में मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री (एम.आर.सी.एफ.) में 120 ट्रेनों के निर्माण का ठेका दिया गया है। और इस साल मई में, फ्रांसीसी बहुराष्ट्रीय कंपनी एल्सटॉम ने 100 एल्यूमीनियम–बॉडी वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण और रखरखाव का अनुबंध हासिल किया है। इन ट्रेनों के रखरखाव के काम का अगले 35 वर्षों के लिए निजीकरण कर दिया गया है।

अनुबंध की शर्तों के अनुसार, टी.आर.एस.एल.–बी.एच.ई.एल 139 करोड़ रुपये प्रति 16–कोच ट्रेन और टी.एम.एच.–आर.वी.एन.एल. 120 करोड़ रुपये प्रति ट्रेन की क़ीमत पर ट्रेनों का उत्पादन करेंगे। कुल मिलाकर 3,200 कोच तैयार किये जायेंगे। निजी कंपनियों को आई.सी.एफ. द्वारा डिजाइन की गई स्लीपर ट्रेनों के मौजूदा प्रोटोटाइप, डिजाइन और चित्र दिए जाएंगे। उन्हें मौजूदा बुनियादी ढांचे के सहित

सार्वजनिक उपक्रमों में उत्पादन करने के लिए जगह उपलब्ध कराई जाएगी। उन्हें भारतीय रेल द्वारा ही बिजली, गैस और पानी जैसे संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

जिन आई.सी.एफ. मज़दूरों के पास पहले से ही इन ट्रेनों के निर्माण का ज्ञान और कौशल है, उन्हें इन कंपनियों द्वारा नौकरी पर रखा जाएगा। निजी कंपनियों को भारतीय रेल के कई अन्य उत्पादन और रखरखाव केंद्रों की सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त होगी। भारतीय रेल के उच्च प्रबंधन ने अतिरिक्त मशीनरी ख़रीदने के लिए टीटागढ़ वैगन को 70 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान देने की घोषणा की है।

सरकार इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को ट्रेनों के निर्माण के लिए आई.सी.एफ. और अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयों की सुविधाएं और संसाधन प्रदान कर रही है। इन कंपनियों द्वारा बुनियादी ढांचे, उत्पादन लाइनों, अत्यधिक कुशल श्रमशक्ति और बिजली व पानी जैसी सुविधाओं के लिये कोई बड़ा निवेश किए बिना, सरकार उन्हें बड़े पैमाने पर मुनाफ़ा कमाने में सक्षम बना रही है। आई.सी.एफ. और संबद्ध सार्वजनिक कंपनियों की संपूर्ण बुनियादी संरचना के साथ–साथ डिजाइन और उत्पादन क्षमता इन निजी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उपलब्ध कराई जाएगी।

आई.सी.एफ. के प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने वंदे भारत ट्रेनों के उत्पादन के निजीकरण की आवश्यकता पर सवाल उठाया है। उन्होंने बताया है कि वंदे भारत ट्रेन सेट के कोच, जिसे शुरू में ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था (क्योंकि इसे बनाने वाली टीम को इसे सफल संचालन के लिए शुरू करने में केवल 18 महीने लगे थे), उन्हें रेल मंत्रालय के अधीन अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन (आर.डी.एस.ओ.) द्वारा डिजाइन और आई.सी.एफ. द्वारा निर्मित किया गया था। आर.डी.एस.ओ. द्वारा विशिष्टताओं को भी मानकीकृत किया गया था। 27 जनवरी, 2019 को निर्मित, ट्रेन 18 सेट का उपयोग करने वाली सेवाओं को 15 फरवरी, 2019 को शुरू होने वाली पहली सेवा के साथ वंदे भारत एक्सप्रेस का नाम दिया गया था। 180 किमी प्रति घंटे की गति के लिए ट्रेन सेट का पहले ही सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है।

ये ट्रेनें कम लागत वाले रखरखाव और परिचालन के लिए बनाई गई थीं। 16 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन की लागत शुरुआत में लगभग 115 करोड़ रुपये थी, लेकिन आई.सी.एफ.–यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन (यू.डब्ल्यू.यू.) ने कहा है कि आई.सी.एफ. कार्यकर्ताओं ने सफलतापूर्वक इसकी लागत घटाकर 98 करोड़ रुपये और फिर 70 करोड़ रुपये कर दी है। उन्होंने कहा है कि वंदे भारत ट्रेन का मौजूदा प्रोटोटाइप 85 प्रतिशत स्वदेशी है और शेष 15 प्रतिशत, यानी हाई–स्पीड मोटर, ब्रेक कंट्रोल आदि आयात किए जाते हैं। अधिक शोध, कार्यशाला और बुनियादी सुविधाओं के माध्यम से आई.सी.एफ. इन्हें स्वदेशी रूप से भी बनाने में सक्षम है और उत्पादन की लागत को और कम कर सकता है। इसके बावजूद, सरकार प्रति ट्रेन 50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत पर इनके उत्पादन को निजी पूंजीपतियों को सौंप रही है।

आंदोलन का नेतृत्व कर रही आई.सी.एफ. मज़दूरों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी, आई.सी.एफ.–जे.ए.सी. ने निजी कंपनियों द्वारा इन ट्रेनों के निर्माण के लिए 11,600 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत का अनुमान लगाया है। इस अतिरिक्त लागत की भरपाई हमारे देश की जनता को करनी होगी। इस निजीकरण के परिणामस्वरूप भारतीय रेल में कुल 65,510 नौकरियां ख़त्म हो जाने का अनुमान है।

आई.सी.एफ. कर्मियों ने निजीकरण की निंदा करते हुए, 25 अक्तूबर को काला दिवस मनाया। 27 अक्तूबर को 100 से अधिक मज़दूरों ने आई.सी.एफ. महाप्रबंधक कार्यालय पर सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद, रेलवे वर्कर्स यूनियनों ने एग्मोर पर भी राजरथिनम स्टेडियम के पास एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया।

उन्होंने मांग की कि भारतीय रेल दो निजी कंपनियों के साथ समझौता वापस ले। उन्होंने मांग की कि रेलवे बोर्ड आई.सी.एफ. में सभी रिक्त पदों को भरने के लिए कर्मचारियों की भर्ती करे। आई.सी.एफ.–जे.ए.सी. ने निजी कंपनियों को आई.सी.एफ. कार्य परिसर के अन्दर स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति देने की सरकार की योजना को सख़्ती से ख़ारिज़ कर दिया है, क्योंकि उनका कहना है कि आई.सी.एफ. कर्मचारी नए संस्करण डिजाइन करने और नई तकनीक बनाने में काफी सक्षम हैं। उन्होंने अपनी मांगें पूरी नहीं होने पर संघर्ष तेज़ करने का संकल्प प्रकट किया है।

http://hindi.cgpi.org/24249

अस्पतालों और शरणार्थी शिविरों पर बमबारी ...

पृष्ठ 6 का शेष

भाग लेने वाले लोगों की हिम्मत को तोड़ने की कोशिश कर रही है। पिछले सप्ताह ब्रिटिश सरकार ने पुलिस से शिकायत की थी कि "जिहाद" या "नदी से समुद्र तक, फिलिस्तीन आज़ाद होगा" का नारा लगाने वाले लोगों को गिरफ़्तार नहीं किया गया था। इस सप्ताह ब्रिटिश सरकार ने यह बहाना देकर अपने पिछले आदेश को रद्द करने की कोशिश की, कि प्रदर्शनकारियों को गिरफ़्तार करना अपमानजनक होगा क्योंकि 11 नवंबर को युद्धविराम दिवस है।

लाखों लोगों की मांग के बावजूद ब्रिटिश सरकार गाज़ा में जनसंहार बंद करने की मांग नहीं कर रही है। ब्रिटिश राज्य हमारी आवाज़ को नज़र–अंदाज़ कर रहा है जैसा उसने पहले भी किया था, जब लोगों ने इराक के ख़िलाफ़ युद्ध शुरू करने के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी।

यह क्या दिखाता है? इससे यह पता चलता है कि जब महत्वपूर्ण मुद्दों की बात आती है, तो निर्णय लेने में इस देश के लोगों की कोई भूमिका नहीं होती है। वे हर पांच साल में एक पार्टी को चुनने के लिए मतदान कर सकते हैं, जो उन पर शासन करेगी या कुशासन करेगी, उसके बाद संसद में लिए गए निर्णयों पर उनका कोई नियंत्रण नहीं होगा। यह दर्शाता है कि हमें इस व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है, एक वैकल्पिक

व्यवस्था की ज़रूरत है जहां हम मानवता के हित में और अपने हित में फ़ैसले ले सकेंगे।

कनसरवेटिव और लेबर पार्टियों के बीच कोई अंतर नहीं है। दोनों इज़रायल के "आत्मरक्षा के अधिकार" के बहाने जनसंहार को नज़र–अंदाज़ कर रहे हैं।

इंडियन वर्कर्स एसोसिएशन सभी इंसाफ़ पसंद लोगों से आह्वान करती है कि वे मानवता के ख़िलाफ़ किए जा रहे अपराधों के लिए इज़रायली जाउनवादियों और उनके समर्थक अमरीकी साम्राज्यवाद तथा ब्रिटिश सरकार और यूरोपीय संघ की निंदा करें।

फ़िलिस्तीनी लोगों का जनसंहार बंद करो!
अब युद्धविराम लागू करो!

इंडियन वर्कर्स एसोसिएशन (ग्रेट–ब्रिटेन)

11 नवंबर, 2023 को प्रदर्शन में शामिल हों!

हाइड पार्क में इकट्ठा होकर यूएस एसेंबली तक मार्च, दोपहर 12.00 बजे

http://hindi.cgpi.org/24267

मज़दूर एकता लहर
हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केंद्रीय कमेटी का अख़बार

RNI No.- 45893/86 Postal Regd. No. DL(S)-01/3177/2021-23
LICENSED TO POST WITHOUT PRE-PAYMENT U (SE)-38/2022-23
Posting Date at DLPSO, 16 & 17 Nov, 2023, Date of publish - 16 Nov, 2023

To ....
....
....
....
....
....

स्वामी लोक आवाज़ पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रिब्यूटर्स के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मधुसूदन कस्तूरी की तरफ से, ई–392 संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020, से प्रकाशित। शुभम इंटरप्राइजेज, 260 प्रकाश मोहल्ला, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली 110065 से मुद्रित। संपादक–मधुसूदन कस्तूरी, ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020
email : melpaper@yahoo.com, mazdoorektalehar@gmail.com, Mob. 9810167911

WhatsApp 9868811998

अवितरित होने पर इस पते पर वापस भेजें :
ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020

मज़दूरों–किसानों की सांझी मांगों को हासिल करने के लिये दिल्ली में अधिवेशन

26 नवंबर को दिल्ली की सीमाओं पर किसानों द्वारा किये गये विरोध प्रदर्शन की तीसरी वर्षगांठ है। इस अवसर पर देश के विभिन्न मज़दूर और किसान संगठन अपनी सांझी मांगों को हासिल करने के लिये देशभर में तीन दिन का महापड़ाव आयोजित करेंगे। इसकी तैयारी के लिये अलग–अलग राज्यों में मज़दूरों और किसानों के संगठनों के राज्य स्तरीय अधिवेशन आयोजित किये जा रहे हैं। इसी संदर्भ में 26 अक्तूबर, 2023 को दिल्ली और एन.सी.आर. का अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में अर्थव्यवस्था के अलग–अलग क्षेत्रों से जुड़े मज़दूर शामिल हुये और कई किसान संगठनों से जुड़े किसान और उनके नेता भी शामिल हुये।

इस अधिवेशन का आयोजन दिल्ली और एन.सी.आर. की ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों ने संयुक्त रूप से किया था। जिनमें शामिल थे – सीटू, एटक, एच.एम.एस., इंटक, एक्टू, मज़दूर एकता कमेटी, यू.टी.यू.सी., ए.आई.यू.टी.यू.सी., सेवा तथा आई.सी.टी.यू., संयुक्त किसान मोर्चा, ऑल इंडिया किसान महासभा, भारतीय किसान यूनियन (टिकैत)।

सभा को संबोधित करते हुये वक्ताओं ने कहा कि देशभर में निजीकरण को जोर–शोर से लागू किया जा रहा है। सरकारी संस्थान जो लोगों को स्थाई रोज़गार देते हैं, उन्हें कौड़ियों के दाम पर पूंजीपतियों को सौंपा जा रहा है। दिल्ली के मज़दूरों को घोषित न्यूनतम वेतन नहीं मिलता है, उन्हें 10–15 हजार रुपये में 12 घंटे की नौकरी करनी पड़ती है। महंगाई अपनी चरम सीमा पर है और उसके मुक़ाबले मज़दूरों के वेतन बहुत ही कम हैं। महंगाई के कारण लोगों का जीना बेहाल हो गया है। दिन ब दिन बेरोज़गारी बढ़ती ही जा रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने चार श्रम कोड को लागू करके मज़दूरों द्वारा लंबे संघर्ष से जीते गये अधिकारों को समाप्त कर दिया है। मांग की गई कि चारों कोडों को रद्द किया जाये। निश्चित अवधि के रोज़गार के क़ानून को वापस लिया जाये। काम पर समानता व सुरक्षा सुनिश्चित की जाये। ठेकाकरण बंद किया जाये।

वक्ताओं ने कहा कि सभी फ़सलों के लिये एम.एस.पी. लागू की जाये, किसानों को अपनी फ़सलों के लिये एम.एस.पी. की गारंटी मिले, स्वामीनाथन कमीशन की सिफ़ारिशों को लागू किया जाये और लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी से रौदने वाले केन्द्रीय मंत्री के बेटे को तुरंत सज़ा दी जाये और अजय मिश्रा टेनी मंत्री पद से तुरंत इस्तीफ़ा दें।

वक्ताओं ने आह्वान किया कि हमें अपने अधिकारों को हासिल करने के लिये संघर्ष को तेज़ करना होगा।

सभा को संबोधित करने वाले वक्ताओं में शामिल थे – सीटू के तपन सेन, एटक के सुप्रभात दामले, एच.एम.एस. के हरभजन सिंह सिद्धू, मज़दूर एकता कमेटी के संतोष कुमार, इंटक के गंगाराम, संयुक्त किसान मोर्चा के कृष्णा प्रसाद, ए.आई.सी.सी.टी.यू. के संतोष राय, यू.टी.यू.सी. के शत्रुजीत, ऑल इंडिया किसान महासभा के प्रेम सिंह गहलावत, ए.आई.यू.टी.यू.सी. के भास्कर, सेवा की लता, भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के दलजीत सिंह, आई.सी.टी.यू. के नरेन्द्र, अखिल भारतीय किसान सभा–नोएडा के रुपेश वर्मा।

मज़दूर एकता कमेटी के कामरेड संतोष कुमार ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अपनी समस्याओं के लिये संघर्ष करने के साथ–साथ, मज़दूर वर्ग को राजसत्ता को अपने हाथों में लेने के लिये भी संघर्ष करना होगा। उन्होंने कहा कि जब तक यह शोषणकारी पूंजीवादी व्यवस्था बरकरार रहेगी तब तक मज़दूरों, किसानों और मेहनतकशों के अधिकारों की सुनिश्चिति नहीं हो सकती। इसलिये हमें एक ऐसी व्यवस्था के लिये संघर्ष करना होगा जिसमें फ़ैसले लेने की ताक़त मज़दूरों और किसानों के हाथों में होगी।

24 अगस्त, 2023 को तालकटोरा स्टेडियम में सर्व हिन्द मज़दूर किसान अधिवेशन हुआ था। इसमें फ़ैसला किया गया था कि 26, 27 और 28 नवम्बर को देश के हर राज्य की राजधानी में मज़दूरों और किसानों के संयुक्त मोर्चे अपनी सांझी मांगों को हासिल करने के लिये महापड़ाव करेंगे। उसी कार्यक्रम के तहत दिल्ली में उपराज्यपाल के कार्यालय पर 26 और 27 नवंबर को महापड़ाव किया जायेगा और 28 नवंबर को जंतर–मंतर पर विरोध–प्रदर्शन अयोजित किया जायेगा। दिल्ली के अधिवेशन में तय किया गया कि इस तीन दिवसीय महापड़ाव को सफल बनाने के लिये हम अभियान चलायेंगे।

http://hindi.cgpi.org/24241

महिला निर्माण मज़दूरों का मांगपत्र

महिला निर्माण मज़दूरों ने अपनी मांगों का एक राष्ट्रीय चार्टर पेश किया है। इसमें न्यूनतम मासिक वेतन 26,000 रुपये और समान काम के लिए समान वेतन की मांग की गई है।

6 नवंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (सी.डब्ल्यू.एफ.आई.) द्वारा आयोजित महिला निर्माण मज़दूरों के राष्ट्रीय सम्मेलन में यह चार्टर पेश किया गया था। देशभर के कई राज्यों से लगभग 200 महिला निर्माण मज़दूरों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। उन्होंने काम की जगह पर होने वाली अनेक समस्याओं के समाधान की मांग की।

महिला निर्माण मज़दूरों की संख्या लगभग 70 लाख है। उन्हें समान काम के लिए पुरुषों की तुलना में 30–40 प्रतिशत कम मज़दूरी दी जाती है। चाहे वे कितने भी वर्षों तक काम करें, महिलाओं को अकुशल मज़दूर ही माना जाता है, उन्हें कम वेतन दिया जाता है और काम से निकाले जाने का ख़तरा हमेशा उन पर मंडराता रहता है। इससे भी बढ़कर, उन्हें कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। उनके लिये शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। उनके बच्चों के लिए क्रेच नहीं होते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 2017 और उसके बाद से बजट में भारी कटौती के कारण राष्ट्रीय क्रेच योजना लागू नहीं की जा रही है।

महिला मज़दूरों द्वारा रखे गए चार्टर में शामिल अन्य मांगें इस प्रकार हैं :

- बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996 (भवन तथा अन्य निर्माण मज़दूर – रोज़गार और सेवा की शर्तों का विनियमन – अधिनियम 1996) को प्रभावी तरीक़े से लागू किया जाये
- एनरोल किये गए मज़दूरों के लिए चिकित्सा बीमा, मातृत्व लाभ और 55 वर्ष के बाद पेंशन दिया जाये
- पंजीकृत मज़दूरों का, छोटी–बड़ी बीमारी या दुर्घटना के दौरान, निजी व सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाया जाये
- महिला मज़दूरों को उनके बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता दी जाये
- 2006 राष्ट्रीय क्रेच योजना का उचित कार्यान्वयन किया जाये
- स्वाभाविक और आकस्मिक मृत्यु व स्थायी विक्लांगता के लिए पर्याप्त मुआवज़ा, विवाह सहायता और मातृत्व लाभ दिया जाये।

http://hindi.cgpi.org/24265

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी का नया प्रकाशन

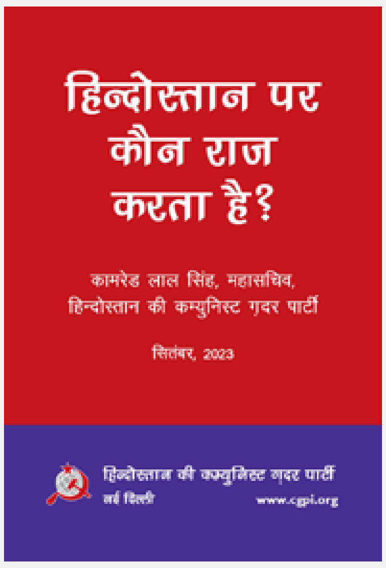

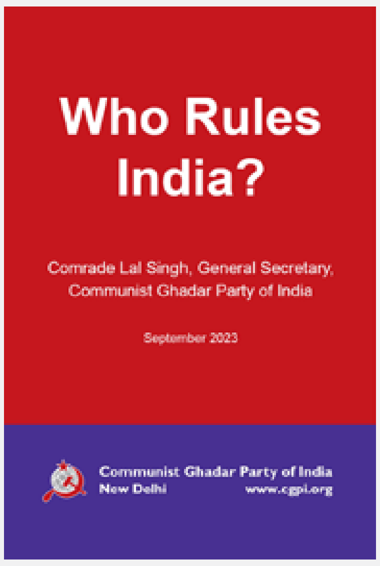

हिन्दी, पंजाबी, मराठी, तमिल एवं अंग्रेजी में उपलब्ध
मूल्य 50 रुपये (डाक खर्च के लिये 30 रुपये अलग से भेजें)

प्राप्त करने के लिये संपर्क करें :
लोक आवाज़ पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स
ई–392, संजय कालोनी, ओखला फेस–2,
नई दिल्ली – 110020,
फोन : 09810167911, वाट्सएप नम्बर 9868811998

UPI कोड से पेमेंट करें